रजिस्ट्री सं डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 405] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1974/भाद्र 30, 1896

No. 405] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1974/BHADRA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Library 8 OCT 1974 Govt. of India

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 21st September 1974

S.O. 567(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1914.

2. In rule 3 of the Income-tax Rules, 1962, in clause (a),—

(i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) Where the accommodation is provided

(A) by Government to a person holding an office or post in connection with the affairs of the Union or of a State;

(B) by a body or undertaking under the control of Government to any officer of Government whose services have been lent to that body or undertaking (the accommodation itself having been allotted to it by Government),

an amount equal to—

(1) if the accommodation is unfurnished, the rent which has been or would have been determined as payable by such person or officer in accordance with the rules framed by Government for allotment of residences to its officers;

(2) if the accommodation is furnished an amount calculated in accordance with sub-clause (i) (1) *plus* 15 per cent., per annum, of the original cost of the furniture (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances and air-conditioning plant or equipment) or if such furniture is hired from a third party, the actual hire charges payable therefor;";

(ii) in sub-clause (ii),—

(a) after item (B), the following item shall be inserted, namely:—

"(BB) by a company [not being a company referred to in sub-clause (ii) (B) or sub-clause (ii) (D)] in which all the shares are held by a corporation referred to in sub-clause (ii) (B) or by a company referred to in that sub-clause, to any person employed by it;";

(b) in item (D), after the word, brackets, figures and letter "sub-clause (ii) (B)", the words, brackets, figures and letter 'or sub-clause (ii) (BB)" shall be inserted.

[No. 721/F. No. 142(11)/74-TPL]

O. P. BHARDWAJ,
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1974

का० आ० 567 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आय-कर (तृतीय संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 3 में, खण्ड (क) में—

(i) उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) जहां आवास सुविधा —

(क) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाए जो संघ या किसी राज्य के मामलों के सम्बन्ध में कोई कार्य कर रहा हो या पद धारण कर रहा हो ;

(ख) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम द्वारा किसी ऐसे सरकारी अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए जिसकी सेवाएं उस निकाय या उपक्रम को सौंपी गई हों (और आवास सुविधा का आबंटन उसे सरकार ने ही किया हो), तो उसे:—

(1) यदि आवास सुविधा असज्जित है तो उतने किराए के समतुल्य रकम जो ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को आवास के आबंटन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार, देय के रूप में अवधारित किया गया है या किया जाता ;

(2) यदि आवास सुविधा सुसज्जित है तो उस रकम के समतुल्य रकम जो खण्ड (1) के उपखण्ड (i) के अनुसार जोड़ी गई हो तथा उसके अतिरिक्त फर्नीचर के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष (फर्नीचर के अन्तर्गत टेली-विजन सैट, रेडियो सैट, रैफ्रीजरेटर, गृहस्थी के अन्य एपलाइंसिस और एयर कंडीशन प्लांट या उपस्कर सम्मिलित है) अथवा यदि ऐसा फर्नीचर किराए पर किसी अन्य पक्षकार से लिया जाता है तो उसके लिए देय वास्तविक किराया ;

(ii) उप खण्ड (ii) में,—

(क) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(खख) किसी ऐसी कम्पनी द्वारा [(ख) के उपखण्ड (ii) या (घ) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट कम्पनी से भिन्न)] जिसमें सारे शेयर खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट निगम द्वारा धारित हैं अथवा उस उपखण्ड में निर्दिष्ट किसी कम्पनी द्वारा, उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को ;";

(ख) मद (घ) में "खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या खण्ड (खख) के उपखण्ड (ii) शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर जोड़े जाएंगे ।

[सं० 721 फा० सं० 142(11)/74—टी०पी० एलस]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974